

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 16, शनिवार, शाके 1947- मार्च 07, 2026 Phalguna 16, Saturday, Saka 1947- March 07, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 19, 2026

संख्या एफ 89(27) उ.मा.वि./अध्यक्ष सदस्य/2025-00489 :- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा -42 उप धारा (3) खण्ड (ख) के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम में अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम- 06 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री उर्मिला वर्मा को विभागीय अधिसूचना एफ 89(22) खा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 30.11.2021 के द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर में पूर्णकालिक सदस्य (न्यायिक) 4 वर्ष की अवधि या उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था। सुश्री वर्मा का कार्यकाल दिनांक 30.11.2025 को समाप्त हो चुका है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP(C) No. 36217/2025 उर्मिला वर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2026 की अनुपालना में सुश्री उर्मिला वर्मा का कार्यकाल, नवीन नियुक्ति होने या नियम संशोधित होने तक बढ़ाया जाता है। सुश्री उर्मिला वर्मा का कार्यकाल बढ़ाये जाने के अन्य बिन्दुओं के संबंध में यह अधिसूचना राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.CIVIL WRIT PETITION NO. 17712/2025 उर्मिला वर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के अध्यक्षीन रहेगी।

यह अधिसूचना दिनांक 01.12.2025 से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अम्बरीष कुमार,
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

22803

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।